

3

7

श्री अशोक गोमुनी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

[Handwritten signature]

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
मिशन रोड, 2 मजदूर कैंप,
प्रीति निहार नई दिल्ली ।

आगत 171 अनुमान

मधुनक: दिनांक: 2 दिसम्बर, 1993

विषय:- श्री गुरराम राय पब्लिक स्कूल रेतकोस देहरादून को सी०बी०एस०बी० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु जमापत्रित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

अनुगत विषयक पत्र मुझे पट बहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरराम राय पब्लिक स्कूल रेतकोस देहरादून को सी०बी०एस०बी० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान करने के लिए इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताछटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभालय स्थापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से शैक्षिक शिक्षा पारम्परिक से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा पारम्परिक/कोरिग कार्ड के अधीन स्कूल सर्टीफिकेट प्रदानायोग नई दिल्ली से प्राप्त हो रही है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की विधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था के अधिक एवं शिक्षार्थी वर्गवारियों को राजकीय सहायता द्वारा प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के वर्गवारियों को अनुनय्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनालयीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निधारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त इलाकों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में इंजीनियरिंग योजना लागू कर शासन को तीन माह के भीतर अवगत कराया जाय । तथा प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल अर्ह अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि बिना समय मत पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अवका पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनालयीय प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
उप-सचिव

पुणे 932511/15-7-1993 तददिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक पीछी गढ़वाल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून ।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रभार, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल रेसकोर्ड, देहरादून ।

आता है,


अशोक गांगुली
उप-सचिव